Reference to unhealthy effect of Kesari Dal

श्री **श्री राजनारायण** (उत्तर प्रदेश) : यह आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य समाचारपत्रों में पढ़े होंगे कि एक दाल होती है—केसरी। कहीं कहीं उसको चपरी भी कहते हैं। केसरी की दाल खाने से 40 आदमियों को लकवा मार गया और वे अस्पताल में हैं। हम अपने बनारस जिले के बारे में जानते हैं कि वहां पर चंदोल तहसील में अभी जो बड़े लोग हैं और जो आज कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पर विराजमान हैं, वे मजदूरों को और हरिजनों को जो मजदूरी देते हैं उसको चपरी देते हैं। तो चपरी की दाल का वही गुण है जो कसरी की दाल का है। उसको जो आदमी खाता है, चार छः महीने, साल भर बाद उसको लकवा मार जाता है और यह गठिया पकड़ता है। तो मैं चाहता हूं यह केसरी की दाल एक प्रकार से अखाद्य पदार्थ बना दी जाए और जो लोग अपनी दयनीय स्थिति में केसरी की दाल को खाने के लिए जाते हैं उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था करे। हमारे मित्र नागेश्वर शाही गोरखपुर के संबंध में केवल इतना ही सदन को बताएंगे कि तमाम बाढ़ आ गई, उसके बाद उनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। वास्तव में जो बताने की आवश्यकता है वह यह है कि आज जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहां के लोग खा क्या रहे हैं ? केन्द्र की सरकार की जिम्मेदारी है लोगों के पेट को भरना। वहां श्रीमन्, आज खाने के लिए नहीं रह गया है।

वहां पर पशुओं को खाने के लिए चारा नहीं रह गया है और वहां पर बोने के लिए बीज नहीं रह गया है। तो जहां पर ऐसी स्थिति हो, वहां पर लोग अखाद्य चपरी, केसारी और मडुवा का भात, यही खाते हैं और यह चीज अपने देश की गरीबी और दयनीय स्थिति को दरसाती है।

श्रीमन्, जिस देश के प्रधान मंत्री पर 35 हजार प्रतिदिन खर्च हो, जिस देश के कैबिनेट के मंत्री पर 4 हजार रुपया प्रतिदिन खर्च हो और जिस देश के कलैक्टर पर 6 हजार रुपया माहवार खर्च हो, उस देश का गरीब मजदूर, किसान, जो मेहनत करता है जो अन्न पैदा करता है, जो देहात में रहता है, वह चपरी, केसारी दाल खाकर लकुवाग्रस्त रहे, यह स्थिति बहुत ही भयानक है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस तरह की स्थिति एकदम खत्म हो, इस तरह की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार को इस सम्बन्ध में अच्छी तरह से नियम बना देने चाहियें कि इस तरह के अखाद्य पदार्थों को जनता को नहीं खाना चाहिये जब तक बाढ़ नहीं रुकती है। यह कहना कि बाढ़ एक दैवी विपत्ता है और यही कारण है कि लोगों को केसारी, चपरी और मडुवा का भात खाना पड़ता है। गांधी जी के लेख जो उन्होंने 1946 में लिखे थे, उनको पढ़ा जाय। गांधी जी ने कहा था कि जो सरकार बाढ़ को दैवी विपत्ता बनाकर बाढ़ग्रस्त लोगों की जिम्मेदारी और बाढ़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती है, वह सरकार पाजी है और वह सरकारी पापी है। मैं चाहूंगा कि यह पाजी और पापी होते हुए भी ऐसे कर्तव्य करे जिससे केसारी और चपरी जैसे दालों को खाकर लोग भविष्य में लकुवाग्रस्त न हों।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.45 P.M.

The House then adjourned for lunch at fortyseven minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at fortyseven minutes past two of the clock, Mr. Deputy Chairman in the Chair.

THE PRESS COUNCIL ^AMENDMENT) BILL, 1974

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA): Mr. Deputy Chairman, Sir, the House will recall that it had given consent to an amendment to the Press Council Act in 1973 which had extended the term of the members of the Press Council and its office bearers from 30th September. 1973

to 30th June, 1974. As the House is aware a Committee consisting of Members of Parliament from both the Houses is going into the question of considering amendment to tiic Press Council Act to provide a suitable machinery for the nomination of the Chairman and members of the Press Council.

श्री राजनारायण : इस कमेटी में कौन कौन लोग हैं ।

SHRI DHARAM BIR SINHA: If the hon. Member is interested, I can read out the names of the Members.

From Rajya Sabha, the Committee consists of:

Shri Bhupesh Gupta;
Shri V. G. Gadgil;
Shri T. N. Singh;
Shri Harsh Deo Malaviya;
Shri Krishna Kripalani; and
Shri Krishan Kant.

And from Lok Sabha, the Committee includes:—

Shri Anantrao Patil;
Shri C. L. Chandrakar;
Shri D. C. Goswami;
Shri B. S. Murthy;
Shri Hari Kishore Singh;
Shri Rudra Pratap Singh;
Shri K. P. Unnikrishnan;
Shri P. M. Sayeed;
Shri Somnath Chatterjee;
Shri Atal Bihari Vajpayee;
Shri Era Sezhiyan; and
Shri Vikram Mahajan.

श्री राजनारायण : अपोजिशन से केवल एक आदमी है ।

SHRI DHARAM BIR SINHA: Shri T. N. Singh and Shri Bhupesh Gupta.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No discussion, please.

SHRI DHARAM BIR SINGH: This Committee is going into this procedure. It has already examined several witnesses and has gone into different aspects of the Press Council with objective of recommending a suitable machinery to select the Chairman and the members of the Press Council. The present Bill seeks to replace the Ordinance because the lerm of the Chairman and Members ended on the 30th of June and an Ordinance had to be issued to extend the term of the Council till the 81st of December, The present Bill seeks to replace the Ordinance.

In this connection, I would only like to bring one other matter to the notice of the House and that is that on the advice of the Committee on Subordinate Legislation contained in their Ninth Report we have included an amendment which lays down suitable provisions regarding laying of the rules to be framed under the Act.

Sir, at this stage I would confine my remarks only to these words and would later respond to the suggestions of the hon. Members that they would like to make.

With these words, Sir, may I now seek your permission to move the Press Coun-(il (Amendment) Bill, 1974, for considera-lion. Thank you.

The question- was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are there any Members who would like to speak on the Rill?

SHRI LAL K. ADVANI (Delhi): Sir, we may take up the discussion of this Bill tomorrow and proceed with the discussion under Rule 176.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (SHRI OM MEHTA): Sir, this may cause inconvenience. A number of Members have given their names for speaking on Discussion under Rule 176 and they are not here at the moment.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let, at least, one Member speak. Then we will adjourn it for tomorrow.

SHRI OM MEHTA: Sir, if there is nobody to speak, then we will proceed with

[SHRI OM MEHTA]

the Bill and get it passed. Then start discussion on the Railways.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Rajnarain, do you want to speak on the Press Council Bill?

श्री राजनारायण : आपके आने के पहले यह तय हो चुका था कि यह कल होगा ।

SHRI OM MEHTA: Sir, the Members who have to move the next motion are not here. They might object. Shri Niren Ghosh, Shri Rabi Ray, and others are not here. Then that motion also goes.

AN HON. MEMBER: That motion cannot go. There are other names also.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will take up that motion at 3 p.m. sharp.

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री सभापति : उस को आप पूछ लीजिए ।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं आप की इजाजत से एक बहुत ही आवश्यक प्रश्न यहां प्रस्तुत कर रहा हूं ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It must have relevance to the Press Council (Amendment) Bill.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR (Rajasthan): It is printed in press.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It has nothing to do with the Press Council. Is it a magazine or something?

श्री राजनारायण : मैं चाहता हूं कि प्रेस कौसिल को यह भेजा जाय । जरा इस को देख लिया जाय । एक और दशहरा—आग से नहीं वोट से । श्री चरण सिंह, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री चन्द्रभानु गुप्त, राजनारायण और एक मुस्लिम लीग के नेता, यह जनता के दुश्मन हैं । जनता इन्हें हरायेगी । जनरल सेक्रेटरी, आल इंडिया, सांप्रदायिक विरोधिनी समिति । मैं कहना चाहता हूं कि इसको भी आप प्रेस काउंसिल में भेजें । जरा इसको देखा जाए कि इलेक्शन के समय यह आर्डर था कि कोई आदमी ऐसे मैटर को न छापे ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How is it concerned with the Press Council Bill?

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं प्रेस काउंसिल बिल पर आ रहा हूं । प्रेस काउंसिल बिल जो माननीय मंत्री जी ने यहां प्रस्तुत किया है मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई है । क्यों आवश्यकता नहीं रह गई क्योंकि प्रेस काउंसिल बिल या प्रेस के सम्बन्ध में जो जो समितियां बनी हुई हैं उनकी रिकमंडेशंस को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है । आज प्रेस पर सरकार हावी होती जा रही है । प्रेस का सरकार ने पूर्णरूपेण अपहरण कर लिया है । प्रेस पर सरकार का खूनी पंजा इतनी मजबूती से गढ़ता जा रहा है कि हमारे देश की जनता गुमराह होती जा रही है ।

श्री हर्षदेव मालवीय : आपके रहते हुए कैसे गुमराह हो सकती है ?

श्री राजनारायण : हो रही है । मैं चाहता हूं कि प्रेस के लिए कितने कागज का कोटा चाहिए इस पर इनका नियंत्रण रहना चाहिए क्योंकि सरकार दिन पर दिन कागज का कोटा काटती जा रही है । उसका मकसद यह है कि प्रेस को कागज ही न मिले ताकि वह विरोधी दलों की बात को छाप ही न पाये । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रेस काउंसिल बिल यहां पर प्रस्तुत है, जो कमेटी इसके लिए बनी हुई है उसके टर्म्स आफ रेफरेंस को बढ़ाया जाए । उसमें विरोधी दलों के लोग जो कि सही मानों में स्वतंत्रता के पक्षाधर हैं ऐसे लोगों का समावेश कराया जाए । राज्य सभा का केवल एक आदमी है जिसको विरोध पक्ष का कहा जा सकता है ।

श्री ओम् मेहता : दो हैं दो ।

श्री राजनारायण : भूपेश गुप्ता को मैं विरोधी दल का नहीं मानता । भूपेश गुप्ता जी को प्रेस काऊंसिल से क्या मतलब ।

श्री ओम् मेहता : वह ऐडिटर हैं एक न्यूजपेपर के ।

श्री राजनारायण : ऐडिटर हो किसी पत्र का या किसी न्यूज का इससे हमसे मतलब नहीं है । अमरीका में भी आप देखिये, श्रीमन्, कि कैसा प्रेस है । अमरीका की व्यवस्था देखिये और रूस की व्यवस्था देखिये । अमरीकी व्यवस्था में पूर्णरूपेण प्रेस आजाद है । श्री निक्सन जो वहां के राष्ट्रपति हैं अब उनका इंपीचमेंट होने जा रहा है । यहां पर लागू प्राइम मिनिस्टर का नाम आ जाए, राष्ट्रपति का नाम आ जाए तो जैसे गगन गिर जाता है, धरा धंस जाती है, ऐसी स्थिति सदन में पैदा कर दी जाती है । मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो आज प्रेस पर हावी होने जा रहे हैं उनको देखा जाए । निक्सन का वाटर गेट कांड क्या, मैं कहना चाहता हूं कि निक्सन से ज्यादा चाहे वाटरगेट कांड कहिए या फ्लड गेट कांड कहिए, या ब्लडगेट कांड कहिए, यहां होते हैं । उससे मुल्क की जनता चिन्तितहै । यानी जिस दल ने निक्सन को राष्ट्रपति बनाया उसी दल के सदस्य आज निक्सन पर दबाव डाल रहे हैं कि आप इस्तीफा दो । हमारे यहां जो जनतंत्र के प्रहारी हैं, जो अपने को समाजवाद की लाइन पर लाते-लाते नहीं थकते . . .

3 P.M.

श्री हर्ष देव मालवीय : आपके दल के बहुत से लोग आ गये हैं । आप से भी कहते हैं आप भी इधर चले आइए तो आप क्यों नहीं चले आते ।

श्री राजनारायण : मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं क्योंकि आज जो सत्तारूढ़ दल है वह सर्वग्रासी है । वह राष्ट्र की दिव्यता को चबाने और कुचलने पर तुला हुआ है । जो भी अपने देश की अच्छी चीजें हैं उनको नष्ट करने और दूसरे दलों को तोड़ने में लगा हुआ है ।

कल मेरा जो यहां भाषण हुआ आपने देखा होगा कि वह कहीं किसी अखबार में नहीं आया । ओबराय के बारे में मैंने कहा था कि उन पर 5 लाख रुपये जुर्माना है और 9 चार्जिज उन पर साबित हुए हैं फारेन एक्सचेंज के । आप पाएंगे ये चीजें अखबारों में गुम हैं । रेडियो जो प्रचार करता है उसमें भी नहीं आया है ।

मेरे पास एक आदमी आया जो 5 दिन तक अम्बाला में पुलिस कस्टडी में रहा . . .

श्री उपसभापति : तीन बज गए हैं, खत्म कारए ।

श्री राजनारायण : कल तो मैं लखनऊ जा रहा हूं . . .

श्री उपसभापति : तीन बज गए हैं और रेलवे पर डिसकशन होना है ।

श्री राजनारायण : मैं तो न इधर का रहा और न उधर का रहा । मुझे केवल दो मिनट दे दीजिए ।

श्री उपसभापति : आप वाइण्ड-अप कर लीजिए ।

श्री राजनारायण : मैं यह कह रहा था कि एक आदमी 5 दिन अम्बाला में पुलिस कस्टडी में रहा । फखरूद्दीन अहमद साहब ने वहां टेलीफोन किया और टेलीफोन करके उसको पुलिस से गिरफ्तार करवाया । (*Interruptions*) इसलिए गिरफ्तार करवाया ताकि वह अपना रिट पैटीशन वापस ले ले । मैं कहना चाहता हूं कि डिप्टी चेयरमैन साहब आप वहां बैठे हुये थे और हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हुए थे जब मैंने उस आदमी को प्रोड्यूस किया और उस आदमी का बयान कराया . . .

श्री गुणानन्द ठाकुर : चेयरमैन साहब इन शब्दों को प्रोसीडिंग से निकलवाइए ।

श्री राजनारायण : मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता आजाद है और आजाद रहेगी इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता के जो पक्षाधर हैं, जो जनतंत्र के प्रेमी हैं उनका परम पुनीत कर्तव्य होना चाहिए कि जो सरकार प्रेस की स्वतंत्रता

[श्री राजनारायण]

पर अंकुश लगाए, उसकी स्वतंत्रता को काटे—चाहे किसी बहाने से भी काटे—उस सरकार को हटाए। इसलिए मैं अदब से कहना चाहता हूं कि जो लोग प्रैस कौंसिल विधेयक के पक्ष में बोलें वे इस बात को बहुत ही हिम्मत के साथ कहें कि प्रैस की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, जो भी कुर्बानी देनी होगी उस के लिए सदन के सम्मानित सदस्य तैयार हैं।

DISCUSSION UNDER RULE 176—Reported harassment, Victimisation etc. of Railway Employees for Participation in Recent Strike.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rabi Ray.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Before you take this up, I had made a request that the assurances given in the month of May in this House by the hon. Minister should be circulated from the proceedings of this House and, if necessary, from the proceedings of the other House. Now, we have not got anything . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rabi Ray.

SHRI BHUPESH GUPTA: You will be seeing that the Government has violated all the major assurances that were give. . . .

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. Rabi Ray.

SHRI BHUPESH GUPTA: We are entitled to have them circulated In order to debate it in the most effective manner.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Rabi Ray.

श्री रबी राय (उड़ीसा) : आज जिस सवाल पर मैं बोलने जा रहा हूं वह एक इस प्रकार का सवाल है जो कि लाखों की तादाद में हमारे देश के रेलवे कर्मचारियों से संबंधित है। उप-सभापति महोदय, आप जानते हैं कि रेलवे हड़ताल को ले कर एक ऐसी चीज हो गई जिससे पता लगा कि यह किस तरह का गम्भीर मामला है और रेलवे मजदूरों के साथ किस तरीके से खुल्लमखुल्ला बर्ताव किया गया। इसी सिलसिले में राष्ट्रपति गिरी और श्रीमती इन्दिरा गांधी के बीच में खुल्लमखुल्ला मतभेद भी हमारे सामने आ गया।

उप-सभापति जी यह इसलिए किया गया कि राष्ट्रपति श्री गिरि रेलवे मजदूरों के सभापति रह चुके हैं और उनके नाम से "गिरि मैदान" खड़कपुर में अभी भी है। इसलिए गिरि साहब का भारत सरकार से और प्रधान मंत्री से यह कहना था कि लाखों की तादाद में रेलवे मजदूर हिन्दुस्तान के चारों तरफ गांवों, जिलों और सब स्थानों में फैले हुए हैं, उनके साथ सहानुभूति के साथ आप बर्ताव करें। लेकिन भारत सरकार ने उनकी सलाह को नहीं माना और उसको ठुकरा दिया। यह बात सब लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति श्री गिरी की इस प्रकार की मान्यता थी और वह चाहते थे कि रेलवे मजदूरों के साथ अच्छी तरह से बर्ताव हो। लेकिन भारत सरकार द्वारा रेलवे मजदूरों के साथ उसी तरह से बर्ताव किया गया जिस तरह से दुश्मनों के साथ बर्ताव किया जाता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे मजदूरों की मांग आर्थिक सवाल पर थी। रेलवे मजदूरों की सब संगठनों की प्रतिनिधि सभा आल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन की तरफ से मांग दी गई थी। उनकी छः मांगें थीं और वे मांगे इस प्रकार हैं :—

"(a) All railwaymen be treated as industrial workers with full trade union rights including the might to ingotiate.

(b) The working hours of railwaymen shall not exceed eight hours per day.

(c) There shall be job evaluation of all railwaymen through a scientific system to be followed by their reclassification, regradation with the need-based minimum wage as the wage for the lowest-paid worker.

(d) Pending the completion of job evaluation and re< lassification, immediate parity In wages with those of workers in